



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय रानी अवंतीबाई लोधी महाविद्यालय, घुमका,
जिला-राजनांदगाँव (छ.ग.)

web site- www.rabcollege.com

क्रमांक 461/स्थापना/2023

Email : govt.collegeghumka@gmail.com

घुमका, दिनांक 16/12/2023

//आदेश//

छत्तीसगढ़ शासन सिविल सेवा अवकाश नियम 01/10/2010 के अंतर्गत इस महाविद्यालय में पदस्थ निम्नलिखित सहायक प्राध्यापकों को कालम नं. 4 में दर्शाये अनुसार अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

प्रमाणित किया जाता है कि संबंधित सहायक प्राध्यापक यदि अवकाश पर न गए होते तो अपने पद पर स्थानापन्न रहते।

क्र.	अधिकारी के नाम एवं पदनाम	ली गयी अर्जित अवकाश की अवधि	स्वीकृत अर्जित अवकाश	स्वीकृत अवकाश उपरांत खाते में शेष अर्जित अवकाश
1	2	3	4	5
1	डॉ. केशवदास देशलहरा सहायक प्राध्यापक (हिन्दी)	11.12.2023 से 22.12.2023 तक	12 दिवस	300 + 05 दिवस
2	डॉ. रोहन प्रसाद सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र)	19.12.2023 से 22.12.2023 तक	04 दिवस	300 दिवस

(डॉ. बी. के. देवांगन)
प्राचार्य

शास. रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय
घुमका, जिला-राजनांदगाँव (छ.ग.)

पृ. क्रमांक 462/स्थापना/2023

घुमका, दिनांक 16/12/2023

प्रतिलिपि:-

1. स्था/लेखा शाखा, शास. रा. अ. बा. लो. महाविद्यालय, घुमका, राजनांदगाँव (छ.ग.)।
2. संबंधित अधिकारी को सूचनार्थ।
3. आदेश फाईल।
4. व्यक्तिगत नस्ती।

0/L

(डॉ. बी. के. देवांगन)
प्राचार्य

शास. रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय
घुमका, जिला-राजनांदगाँव (छ.ग.)

एक लेखा-9

फार्म म.प्र. को 27
(सहायक नियम 264 तथा 265 देखिए)

कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय, घुमका, जिला-राजनांदगाँव (छ.ग.)

E-mail -govt.collegeghumka@gmail.com, website - www.rabcollege.ac.in

क्रमांक / /स्था./2022

घुमका, दिनांक: / /2022

नियतकालिक वेतन - वृद्धि सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

2. प्रमाणित किया जाता है कि नीचे जिन शासकीय कर्मचारियों के नामों का उल्लेख है, उन्होंने वेतन - वृद्धियों के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की तथा अवैतनिक छुट्टी संबंधी अनुपस्थिति आदि की अवधियों, को घटाने के बाद खाने (6) में दी गई तारीख से वर्ष से कम न होने वाली अवधि तक उल्लिखित पदों पर पदाधिकारियों के रूप में रहकर, खाने (6) में दी गई तारीख से निर्धारित नियतकालिक वेतन-वृद्धियाँ अर्जित की है, आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि तारीख से तक और तारीख से तक ती गई छुट्टी की अवधि अथवा अवधियों नीचे उल्लिखित स्थानापन्न शासकीय कर्मचारी/कर्मचारियों के सामने में वेतन-वृद्धि के लिए गिनी गई है/है, उनके/उसके दौरान वह/वे यदि छुट्टी पर नहीं जात, तो पद/पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित शासकीय कर्मचारी/कर्मचारियों ने इससे सम्बद्ध स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन में बताये गये कारणों से दी गई तारीख से नियतकालिक वेतन-वृद्धि अर्जित की है/अर्जित करेगा/करेंगे।

पदधारी का नाम	मूल या स्थानापन्न	पद	का	वर्तमान वेतन	जिस तारीख से वेतन वर्तमान की रकम निकाली गई है वह तारीख	वर्तमान वेतन की तारीख	अगला वेतन	वृद्धि के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थिति	अवैतनिक छुट्टी में जो उनके प्रमाणित रूप से पदों पर है, वह सभी प्रकार की छुट्टी के दौरान वह/वे पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते		
डॉ. शी.के. देवानन प्रभारी प्राचार्य /सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र	2	3	का	4	5	6	7	8	9	10	11
								से	तक	से	तक

टिप्पणी:- 1. जब दावा की गई वेतन-वृद्धि पहली ऐसी वेतन-वृद्धि हो, जिससे किसी शासकीय कर्मचारी का दक्षतावरोध पार होता हो, तब खाने (5), (6) तथा (7) लाल स्थाही से भरे जाने चाहिए।
2. प्रमाण पत्र (1) या (2) के लागू होने के अनुसार प्रत्येक नाम के सामने अंक (1) या (2) देना चाहिए जिस किसी मामले में प्रमाण पत्र (2) लागू होता हो उसमें स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन प्रस्तुत किया ही जाना चाहिए।

M. S. Wadhwa
प्राचार्य

शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय,
घुमका, जिला-राजनांदगाँव (छ.ग.)
श.रा. रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय
घुमका, जिला-राजनांदगाँव (छ.ग.)

कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय, धुमका, जिला-राजनांदगाँव (छ.ग.)

E-mail -govt.collegeghunhka@gmail.com, website - www.rabcollege.ac.in

क्रमांक / /स्था./2022

धुमका, दिनांक: / /2022

नियतकालिक वेतन - वृद्धि सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि नीचे जिन शासकीय कर्मचारियों के नामों का उल्लेख है, उन्होंने वेतन - वृद्धियों के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की तृष्णा अवैतनिक छुट्टी-संबंधी अनुपस्थिति आदि की अवधियों को घटाने के बाद खाने (5) में दी गई तारीख से वर्ष से कम न होने वाली अवधि तक उल्लिखित पदों पर पदाधिकारियों के रूप में रहकर, खाने (6) में दी गई तारीख से निर्धारित नियतकालिक वेतन-वृद्धियाँ अर्जित की है, अंगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि तारीख से तक और तारीख से तक ती गई छुट्टी की अवधि अथवा अवधियाँ नीचे उल्लिखित स्थापना शासकीय कर्मचारी/कर्मचारियों के सामने में वेतन-वृद्धि के लिए गिनी गई है/है, उनके/उसके दौरान वह/वे यदि छुट्टी पर नहीं जात, तो पद/पदों पर स्थापनापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित शासकीय कर्मचारी/कर्मचारियों ने इससे सम्बद्ध स्पष्टीकरणत्मक ज्ञापन में बताये गये कारणों से दी गई तारीख से नियतकालिक वेतन-वृद्धि अर्जित की है/अर्जित करेगा/करेंगे।

पदधारी का नाम	मूल या स्थानापन्न	पद का वेतनमान	वर्तमान वेतन	जिस तारीख से वर्तमान वेतन रकम निकाली गई है वह तारीख	वर्तमान वेतन की तारीख	अगला वेतन	वृद्धि के लिए न गिनी जाने वाली अवधि	अवैतनिक छुट्टी तथा उनमें से पदों पर है, वह सभी प्रकार की छुट्टी के दौरान वह/वे पदों पर स्थापनापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते
श्री शिवनारायण कामंडी	स्थानापन्न	13A	204700	01-07-2022	01-07-2023	210800	से तक	से तक
सहायक प्राध्यापक, प्राणीशास्त्र								

टिप्पणी:- 1. जब दावा की गई वेतन-वृद्धि पहली ऐसी वेतन-वृद्धि हो, जिससे किसी शासकीय कर्मचारी का दक्षातावरोध पार होता हो, तब खाने (5), (6) तथा (7) लाल स्थाही से गये जाने चाहिए।

2. प्रमाण पत्र (1) या (2) के लागू होने के अनुसार प्रत्येक नाम के सामने अंक (1) या (2) देना चाहिए जिस किसी मामले में प्रमाण पत्र (2) लागू होता हो उसमें स्पष्टीकरणत्मक ज्ञापन प्रस्तुत किया ही जाना चाहिए।


प्राचार्य

शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय,
धुमका, जिला-प्राचर्य (छ.ग.)

शास. रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय

धुमका, जिला-राजनांदगाँव (छ.ग.)

एक लेखा-9

फार्म म.प्र. को. 27
(सहायक नियम 264 तथा 265 देखिए)

कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय, धुमका, जिला-राजनांदगाँव (छ.ग.)

E-mail -govt.collegeghumka@gmail.com, Website - www.rabcollege.ac.in

क्रमांक / रथा./2022

धुमका, दिनांक: / /2022

नियतकालिक वेतन - वृद्धि सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि नीचे जिन शासकीय कर्मचारियों के नामों का उल्लेख है, उन्होंने वेतन - वृद्धियों के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की तथा अवैतनिक छुट्टी संबंधी अनुपस्थिति आदि की अवधियों, को घटाने के बाद खाने (5) में दी गई तारीख से वर्ष से कम न होने वाली अवधि तक उल्लिखित पदों पर पदाधिकारियों के रूप में रहकर, खाने (6) में दी गई तारीख से निर्धारित नियतकालिक वेतन-वृद्धियों अर्जित की है, आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि तारीख तक और तारीख से तक ती गई छुट्टी की अवधि अथवा अवधियां नीचे उल्लिखित स्थापना शासकीय कर्मचारी/कर्मचारियों के सामने में वेतन-वृद्धि के लिए गिनी गई है/है, उनके/उसके दौरान वह/वे यदि छुट्टी पर नहीं जात, तो पद/पदों पर स्थापनापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित शासकीय कर्मचारी/कर्मचारियों ने इससे सम्बद्ध स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन में बताये गये कारणों से दी गई तारीख से नियतकालिक वेतन-वृद्धि अर्जित की है/अर्जित करेगा/करेंगे।

पदाधारी का नाम	मूल या स्थानापन्न	पद का वर्तमान वेतन	वर्तमान वेतन	जिस वेतन से वर्तमान वेतन की रिकाली गई है वह तारीख	वर्तमान वेतन की तारीख	अगला वेतन	वृद्धि के लिए जाने वाली अनुपस्थिति	न गिनी कर्तव्य से	अवैतनिक छुट्टी तथा उनके मामले में जो स्थापनापन्न रूप से पदों पर है, वह सभी प्रकार की छुट्टी के दौरान वह/वे पदों पर स्थापनापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
डॉ. सत्यदेव त्रिपाठी सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य	स्थानापन्न	13A	187300	01-07-2022	01-07-2023	192900	से	तक	से	तक

टिप्पणी:- 1. जब दावा की गई वेतन-वृद्धि पहली ऐसी वेतन-वृद्धि हो, जिससे किसी शासकीय कर्मचारी का दक्षतादशे पर होता हो, तब खाने (5), (6) तथा (7) लाल स्थाही से भरे जाने चाहिए।

2. प्रमाण पत्र (1) या (2) के लागू होने के अनुसार प्रत्येक नाम के सामने अंक (1) या (2) देना चाहिए जिस किसी मामले में प्रमाण पत्र (2) लागू होता हो उसमें स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन प्रस्तुत किया ही जाना चाहिए।


प्राचार्य

शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय,
धुमका, जिला-राजनांदगाँव (छ.ग.)
शास. रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय
धुमका, जिला-राजनांदगाँव (छ.ग.)

एक लेखा-9

फार्म म.प्र. को.27

कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय, घुमका, जिला-राजनांदगाँव (छ.ग.)
(सहायक नियम 264 तथा 265 देखिए)
E-mail -govt.college@lumka@gmail.com, Website - www.rablcollage.ac.in

फार्मांक / /स्था./2022

घुमका, दिनांक: / /2022

नियतकालिक वेतन - वृद्धि सपत्नी प्रमाण-पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि नीचे जिन शासकीय कर्मचारियों के नामों का उल्लेख है, उन्होंने वेतन - वृद्धियों के लिए न. गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की तथा अवैतनिक छुट्टी संबंधी अनुपस्थिति आदि की अवधियाँ, को घटाने के बाद खाने (5) में दी गई तारीख से वर्ष से कम न होने वाली अवधि तक उल्लिखित पदों पर पदाधिकारियों के रूप में रहकर, खाने (6) में दी गई तारीख से निर्धारित नियतकालिक वेतन-वृद्धियों अर्जित की है, आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि तारीख से तक और तारीख से तक ली गई छुट्टी की अवधि अथवा अवधियाँ नीचे उल्लिखित स्थानापन्न शासकीय कर्मचारी / कर्मचारियों के सामने में वेतन-वृद्धि के लिए गिनी गई है/ है, उनके /उसके दौरान वह / वे यदि छुट्टी पर नहीं जाते, तो पद / पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता / करती रहते।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित शासकीय कर्मचारी / कर्मचारियों ने इससे सम्बद्ध सपत्नीकरण/ नामांकन में बताये गये कारणों से दी गई तारीख से नियतकालिक वेतन-वृद्धि अर्जित की है/ अर्जित करेगा / करेगी।

पदधारी का नाम	मूल या स्थानापन्न	पद का वेतनमान	वर्तमान वेतन	जिस तारीख से वेतन की वृद्धि रकम निकाली गई है वह तारीख	वर्तमान वेतन की तारीख	अगला वेतन	गुद्धि के लिए न जाने वाली अनुपस्थिति	गिनी न होने से	आवैतनिक छुट्टी तथा उनका मामले में जो स्थानापन्न रूप से पदों पर है, वह सभी प्रकार की छुट्टी के दौरान वह / वे पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता / करती रहते	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
डॉ. केशवदास देशलहरा	स्थापनापन्न	13A	192900	01-07-2022	01-07-2023	198700	-	-	-	-
सहायक प्राध्यापक, हिंदी										

टिप्पणी:- 1. जब दावा की गई वेतन-वृद्धि पहली ऐसी वेतन-वृद्धि हो, जिससे किसी शासकीय कर्मचारी का दक्षतावरोध पार होता हो, तब खाने (5), (6) तथा (7) लाल रसाही से भरे जाने चाहिए।

2. प्रमाण पत्र (1) या (2) के लागू होने के अनुसार प्रत्येक नाम के सामने अंक (1) या (2) देना चाहिए जिस किन्हीं मामले में प्रमाण पत्र (2) लागू होता हो उसमें सपत्नीकरण/ नामांकन प्रस्तुत किया ही जाना चाहिए।

(Signature)
प्राचार्य

शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय,
घुमका, जिला-राजनांदगाँव (छ.ग.)
सहायक प्राचार्य

कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय, धुमका, जिला-राजनांदगाँव (छ.ग.)

(सहायक नियम 264 तथा 265 देखिए)

E-mail -govt.collegeghumka@gmail.com, website - www.rablicollege.ac.in

क्रमांक / स्था. / 2022

धुमका, दिनांक: / / 2022

नियतकालिक वेतन - वृद्धि सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

- प्रमाणित किया जाता है कि नीचे जिन शासकीय कर्मचारियों के नामों का उल्लेख है, उन्होंने वेतन - वृद्धियों के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की तथा अवैतनिक छुट्टी संबंधी अनुपस्थिति आदि की अवधियों, को घटाने के बाद खाने (5) में दी गई तारीख से वर्ष से कम न होने वाली अवधि तक उल्लिखित पदों पर पदाधिकारियों के रूप में रहकर, खाने (6) में दी गई तारीख से निर्धारित नियतकालिक वेतन-वृद्धियों अर्जित की है, आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि तारीख से तक और तारीख से तक ली गई छुट्टी की अवधि अथवा अवधियां नीचे उल्लिखित स्थापना शासकीय कर्मचारी / कर्मचारियों के सामने में वेतन-वृद्धि के लिए गिनी गई है/है, उनके/उसके दौरान वह/वे यदि छुट्टी पर नहीं जाता, तो पद / पदों पर स्थापनापन्न रूप से कार्य करता रहता / करते रहते।
- यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित शासकीय कर्मचारी / कर्मचारियों ने इससे सम्बद्ध स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन में बताये गये कारणों से दी गई तारीख से नियतकालिक वेतन-वृद्धि अर्जित की है/अर्जित करेगा / करेगी।

पदचारी का नाम	मूल या स्थानापन्न	पद का वेतनमान	वर्तमान वेतन	जिस तारीख से वेतन वर्तमान की रकम निकाली गई है वह तारीख	वर्तमान वेतन की तारीख	अगला वेतन	वृद्धि के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थिति	अवैतनिक छुट्टी तथा उनका मामले में जो स्थापनापन्न रूप से पदों पर है, वह सभी प्रकार की छुट्टी के दौरान वह/वे पदों पर स्थापनापन्न रूप से कार्य करता रहता / करते रहते		
डॉ. रोहन प्रसाद	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र	स्थानापन्न	13A	181800	01-07-2022	01-07-2023	187300	-	-	-	-

टिप्पणी:- 1. जब दावा की गई वेतन-वृद्धि पहली ऐसी वेतन-वृद्धि हो, जिससे किसी शासकीय कर्मचारी का दक्षांतरोध पार होता हो, तब खाने (5), (6) तथा (7) लाल स्थाही से भरे जाने चाहिए।

- प्रमाण पत्र (1) या (2) के लागू होने के अनुसार प्रत्येक नाम के सामने अंक (1) या (2) देना चाहिए जिस किसी मामले में प्रमाण पत्र (2) लागू होता हो उसमें स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन प्रस्तुत किया ही जाना चाहिए।

शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय,

धुमका, जिला-राजनांदगाँव (छ.ग.)

सहायक प्राचार्य, जिला-राजनांदगाँव (छ.ग.)



कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय, धुमका, जिला-राजनांदगाँव (छ.ग.)

E-mail-govt.collegelghumka@gmail.com, website-www.rabcollage.ac.in

क्रमांक / /स्था./2022

धुमका, दिनांक: / /2022

नियतकालिक वेतन - वृद्धि सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि नीचे जिन शासकीय कर्मचारियों के नामों का उल्लेख है, उन्होंने वेतन - वृद्धियों के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की तथा अवैतनिक छुट्टी संबंधी अनुपस्थिति आदि की अवधियों, को घटाने के बाद खाने (5) में दी गई तारीख से वर्ष से कम न होने वाली अवधि तक उल्लिखित पदों पर पदाधिकारियों के रूप में रहकर, खाने (6) में दी गई तारीख से निर्धारित नियतकालिक वेतन-वृद्धियों अर्जित की है, आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि तारीख से तक और तारीख से तक ती गई छुट्टी की अवधि अथवा अवधियाँ नीचे उल्लिखित स्थापना शासकीय कर्मचारी/कर्मचारियों के सामने में वेतन-वृद्धि के लिए गिनी गई है/है, उनके/उसके दौरान वह/वे यदि छुट्टी पर नहीं जाते, तो पद/पदों पर स्थापनापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते।
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित शासकीय-कर्मचारी/कर्मचारियों ने इससे सम्बद्ध स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन में बताये गये कारणों से दी गई तारीख से नियतकालिक वेतन-वृद्धि अर्जित की है/अर्जित करेगा/करेंगे।

पदधारी का नाम	मूल या स्थानापन्न	पद वेतनमान का	वर्तमान वेतन	जिस तारीख से वर्तमान वेतन रकम निकाली गई है वह तारीख	वर्तमान वेतन की तारीख	अगला वेतन	वृद्धि के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थिति		अवैतनिक छुट्टी तथा उनका स्वरूप
							से	तक	
श्री दुर्गा प्रसाद चौधरी	स्थानापन्न	Level - 6	29400	01-07-2022	01-07-2023	30300	से	तक	से
सहायक ग्रेड-3		5200-20200					8	9	10
									11

टिप्पणी:- 1. जब दावा की गई वेतन-वृद्धि पहली ऐसी वेतन-वृद्धि हो, जिससे किसी शासकीय कर्मचारी का दक्षतावशेष पार होता हो, तब खाने (5), (6) तथा (7) बाल स्थाही से भरे जाने चाहिए।

2. प्रमाण पत्र (1) या (2) के लागू होने के अनुसार प्रत्येक नाम के सामने अंक (1) या (2) देना चाहिए जिस किरी मामले में प्रमाण पत्र (2) लागू होता हो उसमें स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन प्रस्तुत किया ही जाना चाहिए।

M. J. J.
प्राचार्य

शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय,

धुमका, जिला-राजनांदगाँव (छ.ग.)

फार्म नं.प्र. को 27

धुमका, जिला-राजनांदगाँव (छ.ग.)

कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय, घुमका, जिला-राजनांदगाँव (छ.ग.)

E-mail -govt.collegeghumka@gmail.com, Web site - www.rabcolle.edu.ac.in

क्रमांक / /स्था./2022

घुमका, दिनांक: / /2022

नियतकालिक वेतन - वृद्धि सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि नीचे जिन शासकीय कर्मचारियों के नामों का उल्लेख है, उन्होंने वेतन - वृद्धियों के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की तथा अवैतनिक छुट्टी संबंधी अनुपस्थिति आदि की अवधियों, को घटाने के बाद खाने (5) में दी गई तारीख से वर्ष से कम, न होने वाली अवधि तक उल्लिखित पदों पर पदाधिकारियों के रूप में रहकर, खाने (6) में दी गई तारीख से निर्धारित नियतकालिक वेतन-वृद्धियों अर्जित की है, आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि तारीख तक ती गई छुट्टी की अवधि अथवा अवधियों नीचे उल्लेखित स्थापना शासकीय कर्मचारी / कर्मचारियों से तक और तारीख से के सामने में वेतन-वृद्धि के लिए गिनी गई है / है, उनके / उसके दौरान वह / वे यदि छुट्टी पर नहीं जाते, तो पद / पदों पर स्थापना रूप से कार्य करता रहता / करते रहते।
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित शासकीय कर्मचारी / कर्मचारियों ने इससे सम्बद्ध स्पष्टीकरणपत्रक ज्ञापन में बताये गये कारणों से दी गई तारीख से नियतकालिक वेतन-वृद्धि अर्जित की है / अर्जित करेगा / करेगी।

पदधारी का नाम	मूल या स्थानापन्न	पद का वेतनमान	वर्तमान वेतन	जिस तारीख से वेतन वर्तमान की रकम निकाली गई है वह तारीख	वर्तमान वेतन की तारीख	अगला वेतन	वृद्धि के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से		अवैतनिक छुट्टी तथा उनमें से पदों पर है, वह स्थापना रूप प्रकार की छुट्टी के दौरान वह / वे पदों पर स्थापना रूप से कार्य करता रहता / करते रहते	
							से	तक		से
श्री खिलेश्वर हिरवानी	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
प्रयोगशाला परिचारक	स्थापना	Level - 3 5200-20200	21500	01-07-2022	01-07-2023	22100	-	-	-	-

टिप्पणी:- 1. जब दावा की गई वेतन-वृद्धि पहली ऐसी वेतन-वृद्धि हो, जिससे किसी शासकीय कर्मचारी का दक्षतावरोध पार होता हो तब खाने (5), (6) तथा (7) लाल स्पाही से भरे जाने चाहिए।

2. प्रमाण पत्र (1) या (2) के लागू होने के अनुसार प्रत्येक नाम के सामने अंक (1) या (2) देना चाहिए जिस किसी मामले में प्रमाण पत्र (2) लागू होता हो उसमें स्पष्टीकरणपत्रक ज्ञापन प्रस्तुत किया ही जाना चाहिए।

शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय,
घुमका, जिला-राजनांदगाँव (छ.ग.)
श्री. राज. अ. अ. लोधी महाविद्यालय
राजनांदगाँव (छ.ग.)

प्रमाणित

प्रमाणित

प्रमाणित

कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय रानी अवंती बाई तोषी महाविद्यालय, घुमका, जिला-राजनांदगाँव (छ.ग.)

E-mail -govt.collegeghumka@gmail.com, website - www.rabcollege.ac.in

घुमका, दिनांक: / /2022

क्रमांक / /स्था./2022

नियतकालिक वेतन - वृद्धि सार्वभौम प्रमाण-पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि नीचे जिन शासकीय कर्मचारियों के नामों का उल्लेख है, उन्होंने वेतन - वृद्धियों के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की तथा अवैतनिक छुट्टी संबंधी अनुपस्थिति आदि की अवधियों को घटाने के बाद खाने (6) में दी गई तारीख से वर्ष से कम न होने वाली अवधि तक उल्लिखित पदों पर पदाधिकारियों के रूप में रहकर, खाने (6) में दी गई तारीख से निर्धारित नियतकालिक वेतन-वृद्धियों अर्जित की है, आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि तारीख तक ती गई छुट्टी की अवधि अथवा अवधियां नीचे उल्लेखित स्थानापन्न शासकीय कर्मचारी / कर्मचारीयों से तक और तारीख से तक की गई छुट्टी पर नहीं जाता, तो पद / पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता / करते रहते।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित शासकीय कर्मचारी / कर्मचारियों ने इससे सम्बद्ध स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन में बताये गये कारणों से दी गई तारीख से नियतकालिक वेतन-वृद्धि अर्जित की है / अर्जित करेगा / करेगी।

पदधारी का नाम	मूल या स्थानापन्न	पद वेतनमान का	वर्तमान वेतन	जिस तारीख से वेतन वर्तमान की रकम निकाली गई है वह तारीख	वर्तमान वेतन की वृद्धि तारीख	अगला वेतन	वृद्धि के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थिति		अवैतनिक छुट्टी तथा उनमें से पदों पर हैं, वह प्रकार की छुट्टी के दौरान वह/वे पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता / करते रहते	तक	से	तक
							से	तक				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
श्री श्यामलाल धोरे चौकीदार	स्थानापन्न	Level - 4 5200-20200	35200	01-07-2022	01-07-2023	36300	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी:- 1. जब दावा की गई वेतन-वृद्धि पहली ऐसी वेतन-वृद्धि हो, जिससे किसी शासकीय कर्मचारी का दक्षतावरोध पर होता हो, तब खाने (5), (6) तथा (7) लाल स्पाही से भरे जाने चाहिए।

2. प्रमाण पत्र (1) या (2) के लागू होने के अनुसार प्रत्येक नाम के सामने अंक (1) या (2) देना चाहिए जिस किसी मामले में प्रमाण पत्र (2) लागू होता हो उसमें स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन प्रस्तुत किया, ही जाना चाहिए।


प्राचार्य

कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय रानी अवती बाई लोधी महाविद्यालय, घुमका, जिला-राजनांदगाँव (छ.प्र.)

E-mail -govt.collegeghumka@gmail.com, wcb,site - www.rabcolleg.ac.in

क्रमांक / /स्था. /2020

घुमका, दिनांक: / /2020

नियतकालिक वेतन - वृद्धि सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

- प्रमाणित किया जाता है कि नीचे जिन शासकीय कर्मचारियों के नामों का उल्लेख है, उन्होंने वेतन - वृद्धियों के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की तथा अवैतनिक छुट्टी संबंधी अनुपस्थिति आदि की अवधियों, को घटाने के बाद खाने (5) में दी गई तारीख से वर्ष से कम न होने वाली अवधि तक उल्लिखित पदां पर पदाधिकारियों के रूप में रहकर, खाने (6) में दी गई तारीख से निर्धारित नियतकालिक वेतन-वृद्धियां अर्जित की हैं, आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि तारीख से तक और तारीख से तक ली गई छुट्टी की अवधि अथवा अवधियां नीचे उल्लेखित स्थानापन्न शासकीय कर्मचारी / कर्मचारियों के सामने में वेतन-वृद्धि के लिए गिनी गई है/है, उनके/उसके दौरान वह/वे यदि छुट्टी पर नहीं जाते, तो पद/पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता/रहता/करते रहते।
- यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित शासकीय कर्मचारी / कर्मचारियों ने इससे सम्बद्ध स्पष्टीकरणपत्रक ज्ञापन में बताये गये कारणों से दी गई तारीख से निवृत्तकालिक वेतन-वृद्धि अर्जित की है/अर्जित करेगा/करेंगे।

पदधारी का नाम	मूल या स्थानापन्न	पद का वेतनमान	वर्तमान वेतन	जिस वेतन से वर्तमान की रकम निकाली गई है वह तारीख	वर्तमान वेतन की वृद्धि तारीख	अगला वेतन	वृद्धि के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थिति		अवैतनिक छुट्टी तथा उनका मासिक में जो स्थानापन्न रूप से पदों पर है, वह सभी प्रकार की छुट्टी के दौरान वह/वे पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता/रहता/करते रहते	
							से	तक		से
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
श्री दीपक वर्मा	स्थानापन्न	Level - 10	40390	01-07-2022		दक्षतावरोध	-	-	-	-
सहायक प्राध्यापक, इतिहास										

- परिचीक्षा अवधि समाप्त होने के उपरान्त वेतन वृद्धि दी जायेगी।

टिप्पणी:- 1. जब दया की गई वेतन-वृद्धि पहली ऐसी वेतन-वृद्धि हो, जिससे किसी शासकीय कर्मचारी का दक्षतावरोध पर होता हो तब खाने (5), (6) तथा (7) लागू रहती से भरे जाने चाहिए।

- प्रमाण पत्र (1) या (2) के लागू होने के अनुसार प्रत्येक नाम के सामने अंक (1) या (2) देना चाहिए जिस किसी मामले में प्रमाण पत्र (2) लागू होता हो उसमें स्पष्टीकरणपत्रक ज्ञापन प्रस्तुत किया ही जाना चाहिए।

M. D. Singh
प्राचार्य

कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय रानी अवती बाई लोधी महाविद्यालय, घुमका, जिला-राजनांदगाँव (छ.ग.)

E-mail -govt.collegeghumka@gmail.com, website - www.rabicollege.ac.in

क्रमांक / /स्था. /2020

घुमका, दिनांक: / /2022

नियतकालिक वेतन - वृद्धि सादरशी प्रमाण-पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि नीचे जिन शासकीय कर्मचारियों के नामों का उल्लेख है, उन्होंने वेतन - वृद्धियों के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की तथा अवैतनिक छुट्टी संबंधी अनुपस्थिति आदि की अवधियों, को घटाने के बाद खाने (6) में दी गई तारीख से वर्ष से कम न होने वाली अवधि तक उल्लिखित पदों पर पदाधिकारियों के रूप में रहकर, खाने (6) में दी गई तारीख से निर्धारित नियतकालिक वेतन-वृद्धियों अर्जित की है, आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि तारीख से तक और तारीख से तक ली गई छुट्टी की अवधि अथवा अवधियां नीचे उल्लिखित स्थापन शासकीय कर्मचारी/कर्मचारियों के सामने में वेतन-वृद्धि के लिए गिनी नहीं है/है, उनके/उसके दौरान वह/वे यदि छुट्टी पर नहीं जाते, तो पद/पदों पर स्थापनापन रूप से कार्य करता रहता/करते रहते।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित शासकीय कर्मचारी/कर्मचारियों ने इससे सम्बद्ध स्पष्टीकरणपत्रक ज्ञापन में बताने गये कारणों से दी गई तारीख से नियतकालिक वेतन-वृद्धि अर्जित की है/अर्जित करेगा/करेंगे।

पदधारी का नाम	मूल या स्थानापन्न	पद वेतनमान	का वर्तमान वेतन	जिस तारीख से वर्तमान वेतन की रकम निकाली गई है वह तारीख	वर्तमान वेतन की वृद्धि तारीख	अगला वेतन	वृद्धि के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से		अवैतनिक छुट्टी तथा उनका मासिक में जो स्थापनापन रूप से पदों पर है, वह प्रकार की छुट्टी के दौरान वह/वे पदों पर स्थापनापन रूप से कार्य करता रहता/करते रहते	
							से	तक		
श्री भारतेन्दु प्रसाद वर्मा	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सहायक प्राध्यापक, अंग्रेजी	स्थानापन्न	Level - 10	40390	01-07-2022		दक्षतावरोध	-	-	-	-

परिशीला अवधि समाप्त होने के उपरान्त वेतन वृद्धि दी जायेगी।

टिप्पणी:- 1. जब दावा की गई वेतन-वृद्धि पहली ऐसी वेतन-वृद्धि हो, जिससे किसी शासकीय कर्मचारी का दक्षतावरोध पार होता हो, तब खाने (5), (6) तथा (7) लाल स्थायी से भरे जाने चाहिए।

2. प्रमाण पत्र (1) या (2) के लागू होने के अनुसार प्रत्येक नाम के सामने अंक (1) या (2) देना चाहिए जिस किराी मामले में प्रमाण पत्र (2) लागू होता हो उसमें स्पष्टीकरणपत्रक ज्ञापन प्रस्तुत किया ही जाना चाहिए।

(Signature)
प्राचार्य

शासकीय रानी अवती बाई लोधी महाविद्यालय,
घुमका जिला-राजनांदगाँव (छ.ग.)